राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक प. 9(8)कार्मिक/ख-3/2018 जयपुर, दिनांक 16/01/2019

ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोगार्थ लकडी/स्टील फर्नीचर राज्य की लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आद्योगिक ईकाइयों से क्रय किये जाने के लिए मोहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाऐं दिनांक 31/01/2019 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए निम्नानुसार फर्नीचर सप्लाई किया जाने बाबत-: **Executive Chair (High Back with net)** **Executive Chair (High Back)** **Executive Chairs (Low Back)** **Visitor's Chair (with arm rest)** **Officer'sTable (Size 7'x3.5'x2.5')** **Officers Table (Size 5'x3.5'x2.5')** **Side Unit (2'x1'3"x2.5')** **(सप्लाई किये जाने वाले फर्नीचर का विस्तृत विवरण एनेक्सर ई पर संलग्न)**	74,00,000.00	37,000.00	500.00

निविदा की शर्ते :-

1. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क नकद अथवा चैक जो कि संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो **शासन** सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में कोई भी विक्रेता किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 00/00/2018 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट **www.dop.rajasthan.gov.in**, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साईट **www.dipr.rajasthan.gov.in,** राज्य लोक उपापन पोर्टल (**http://sppp.raj.nic.in**), **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पथक से डाफट संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग का होगा।
5. **तकनकी निविदा को स्वाकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें:-**
   (**i**) निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर चैक/ डाफट जो कि संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो ।
   (**ii**) निविदा प्रपत्र प्रपत्र शुल्क रू. 500/- ड्राफट जो कि संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो ।
   (**iii**) RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रू. 500/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफट जोकि प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से बना हुआ हो ।
6. **तकनकी निविदा को स्वाकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :-**

(**i**) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित छायाप्रति।

(**ii**) निविदा के साथ जीएसटी नम्बर एवं जीएसटी रिटर्न दिनांक 30/09/2018 तक की छाया प्रति स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध करावें ।

(**iii**) तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बन्धित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयंद्वारा हस्ताक्षरित किये होने चाहिये ।

(**iv**) राज्य की लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम औधौगिक इकाईयॉ जो उधोग विभाग द्वारा **Entrepreneurial Memorandum Part-II/Memorandum/Registration Certificate/Udyog Aadhar** के अन्तर्गत **स्टील/लकड फर्नीचर मैन्युफेक्चरिंग** के लिये पंजीक्रत है ! पंजीयन प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाना आवश्यक है ।

Signature of Bidder

(v) अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राजकीय विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में फर्नीचर आपूर्ति के सम्बन्ध में (दोनो वर्षों में कुल) 50.00 लाख का अनुभव होने चाहिए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलक्न करें ।

(vi) फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एव 2017-18 में (दोनो वर्षों में कुल) फर्म की बिक्री/टर्नओवर रू. 75.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता अपने सी.ए. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

7 **तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।**

8. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी। निविदा अवधि राजस्थान लोंक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम- **29 एवं 73 के अनुसार** बढाई जा सकेगी।

9. **बोली प्रतिभूति-** (**i**) बोली प्रतिभूति बोली के लिए विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी राजस्थान के लघु उधोगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी ओर लघु उधोगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा मे बोली मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

   (**ii**) बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टकृत सोसाईटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

10. बोली प्रतिभूति /कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उघोग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पास रजिस्टीकृत कुटीर एवं लघु उघोग विभाग उन पदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वे इस रूप में रजिस्टीकृत हैं, सामान का क्रय (राजस्थान के उघोग के अधिमान) नियम 1995 के नियम-8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प.1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित हैं के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

11. सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित हैं। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है।

12. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।

13. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तो में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वत: कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

14. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। अत: उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम एवं <u>जीएफ एण्ड ए आर</u> के सभी प्रावधान प्रभाशील होगें।

15.अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

(1.) शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें ।

(2.) बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 17 देखें ।

(3.) बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है.

Signature of Bidder

(4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल रूपये 500 की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा-नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क. 500 /-डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार/ पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।

(6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

(7.) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं नमूने दिनांक 31/01/2019 को दोपहर 1.00 बजे तक पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में जमा करवानी होगी ।

16. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु (1.) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने होगा ।

(2.) बोलीदाताओं बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।

(3.) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।

(4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें । डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5.) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।

(6.) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।

(7.) कार्मिक विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(8.) बोलीदाताओं सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है ।

(9.) कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर दिखना चाहिए ।

(10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।

(11.) बोलीदाताओं उनकी बोली प्रतिभूतिराशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए ।

(12.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।

(13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सर आई वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।

(14.) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ।

(15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का समय होगा ।

Signature of Bidder

(16) ई-निविदा में निविदादाता को किसी प्रकार की परेशानी होने पर ई प्रक्योरमेन्ट की हेल्प डेस्क नं; 0141- 4022688 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (ख) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Signature of Bidder

तकनीकी निविदा प्रपत्र

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोगार्थ लकडी/स्टील फर्नीचर राज्य की लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आद्योगिक ईकाइयों से क्रय किये जाने के लिए दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	
2	निविदा का संदर्भ	निविदा सूचना क्रमांकः प 9(8)कार्मिक/ख/3/2018 दिनांक 16/01/2019	
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण	शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये लकडी/स्टील फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु दरे एक वर्ष की अवधि(आदेश दिनांक से)के लिए अनुमोदन हेतु।	
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम	**संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर**	
6	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	**31/01/2019 को दोपहर 12.00 बजे**	
7	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि, समय और स्थान	दिनांक **31/01/2019** को सायं 04.00 बजे तक उपापन समिति-। के द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-1) विभाग के कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर में खोली जावेगी ।	
8	निविदादाता का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाइल फोन	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नामपदनाम/	
9	निविदा शुल्क राशि 500/-रूपये जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या----------------------------- दिनांक -----------------	
10	निविदा प्रसंस्करण शुल्क राशि 500/- रूपये का जमा करवाये जाने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ------------------------------ दिनांक ----------	
11	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 37,000/- जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ----------------------------- दिनांक -----------------	

Signature of Bidder

12	अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में (दोनो वर्षों में) राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में आपूर्ति के सम्बन्ध में 50.00 का अनुभव होना चाहिए एवं इसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जावे।	वर्ष	विभाग नाम	कार्य की राशि	अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें। (पृष्ठ संख्या)
13	जीएसटी रिटर्न की दिनांक 30/09/2018 तक की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति एवं जीएसटी प्रामण पत्र की प्रति			प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया	
14	आयकर पैन (PAN) नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति			प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया	
15	फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में (दोनो वर्षों में) बिक्री/टर्नओवर रूपये 75.00 लाख होना आवश्यक है इस हेतु सीए का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें		बिक्री/टर्नओवर की राशि रूपये	सी ए का प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया...................	
16	एनेक्चर ई में वर्णित सामग्री हेतु **Entrepreneurial Memorandum PartII/Memorandum/Registration Certificate/Udyog Aadhar** के अन्तर्गत **स्टील/लकड़ी फर्नीचर मैन्युफेक्चरिंग का प्रमाण-पत्र**			प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया	

17. निविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुये तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने हैं:-

(1) एनेक्सर-ए हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(2) एनेक्सर-बी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(3) एनेक्सर-सी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(4) एनेक्सर -डी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(5) एनेक्सर-ई हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(6) एनेक्सर-एफ हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(7) एनेक्सर-जी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(8) एनेक्सर-एच हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

18 यह कि मै/ हम (नाम) -- कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक प0 9(8)/कार्मिक/ख-3/2018 दिनांक 16/01/2019 के अनुसरण में राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये स्टील/ लकडी फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु दरें एक वर्ष की अवधि(आदेश दिनांक से) के लिए अनुमोदन कराने हेतु तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं-

(1) --------------- पृष्ठ संख्या ....

(2) --------------- पृष्ठ संख्या ....

(3) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(4) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(6) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(7) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(8) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(9) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

19. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें एनेक्चर-जी मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूॅ/हैं।

20. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा में सप्लाई की जानी वाली सामग्री की दरों के अलावा किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर का होगा ।

22. निविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एवं 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।

23. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

24. सामान की मूल कीमत पर जीएसटी अलग से दर्शायी जावे ।

25. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवॅ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर-ई के अनुसार है।

26. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर फर्म माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश की सीमा में 15 दिवस की कमी की जा सकेगी अर्थात क्रय आदेश की आपूर्ति 15 दिवस में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय-समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।

Signature of Bidder

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम राज; लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड़ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature of Bidder

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………… for procurement of ……………………… in response to their Notice Inviting Bids No………… Dated………… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग

The designation and address of the Second Appellate Authority is वित्त विभाग

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

<u>हस्ताक्षर निविदादाता</u>

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

<u>*हस्ताक्षर निविदादाता*</u>

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc1

हस्ताक्षर निविदादाता

एनेक्सर-ई

क्रय किये जाने वाले स्टील फर्नीचर का विवरण

S.N.	Specification of Item	Appro. Qnty
1	2	3
1.	**Executive Chairs (High Back with net)** SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat is made up of insert moulded Polyurethane Foam upholstered with foam laminated mesh fabric. The insert moulded foam is assembled over a load bearing plastic seat cover. The seat made of plywood and upholstered with moulded Polyurethane Foam and foam laminated mesh fabric. The back is made up of two piece injection moulded frame. The inner frame is upholstered with mesh fabric and mounted on the main assembly. The back has adjustable lumber support for achieving comfortable seating posture. Sub Assembly Seat size= 51.0 cm. Widthx52.5 cm. Depth. Sub Asse,nly Back size= 48.5 cm. Width x 62.0 cm Height. POLYURETHANE FOAM: The polyurethane foam for seat is moulded with density=65±5 Kg/M³. ARM RESTS (ADJUSTABLE): The aremrest top is injection moulded in polyurethane and mounded on the injection moulded height adjustable type armrest. The arwrest height is adustable up to 4.5±0.5 cm in 3 steps & width adjustable up to 20mm. FRONT PIVOT SYNCHRO MECHANISM: The mechanism is designed with the following features: • 360˚ revolving type. • Single point control. • Front pivot for tilt with feet resting on ground ensuring more comfort. • Tilt tension adjustment. • 4-position locking with anti-shock feature (including the upright position lock) CONNECTING SPINE BRACKET: Spine bracket is mad of Aluminium diecast piece connecting back with machanism. ADJUSTABLE NECK REST ASSEMBLY: Neck rest assy is made of polyrethane foam upholstered with foam laminated mesh fabric. The neck rest assy is mounted on the top of back. It can be adjusted up to 4.5±0.5 cm up-dn and has angular adjustment of 30˚±2˚. PNEUMATIC HEIGHT ADJUSTMENT: The pneumatic height adjustment has an adjustment of 9.0±0.3cm. PEDESTAL ASSEMBLY: Pedestal is made of Die cast Aluminium Fitted with 5 nos. twin wheel castors. The pedestal is of Ø66.0±0.5cm Pitch centre (Ø76.0±1.0cm with castors). TWIN WHEEL CASTORS: The twin wheel castors having are injection moulded in black nylon.	50 Pc.
2.	**Executive Chairs (High Back)** SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat/back are made up of 1.2±0.1cm. thick hot pressed plywood measured as per QA method described in OCP-QLTA-P14-18 and upholstered with fabric and moulded Polyurethane foam together with moulded seat and back covers. The back foam is designed with contoured lumbar support for extra comfort. High back size= 50.0 cm. Widthx72.0 cm. Hight. HIGH RESILIENCE POLYURETHANE FOAM: The HR polyurethane foam is moulded with density=45±2 Kg/M³ and Hardness load 16±2 kgf as per iS:7888 for 25% compression. SEAT/BACK COVERS: The seat cover is injection moulded in black co-polymer polypropylene and back cover is vacuum formed from ABS sheets. ARMRESTS: The one-piece armrests made of black integral skin polyurethane with 50-70 Shore 'A' Hardness and reinforced with M.S. insert. The armrests are scratch and weather resistant. The armrests are fitted to the seat with seat/armrest connecting strip assembly made of 0.5 ±0.05 cm. thk. HR steel. CENTER TILT MECHANISM: The mechanism is desighned with the following features: * 360˚ revolving type. * 17˚±2˚ maximum tilt on pivot at centre. * upright position locking. * Tilt tension adjustment. PNEUMATIC HEIGHT ADJUSTMENT: The pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 12.0±0.3cm. TELESCOPIC BELLOW ASSEMBLY: The bellow is 3 piece telescopic type and injection moulded in black polypropylene. PEDESAL ASSEMBLY: The pedestal is injection moulded in black 33% glass-fitted Nylon-66 and fitted with 5 nos. twin wheel sastors. The pedestal is 66.3±0.5cm. (76.3 ±1.0 cm with castors). TWIN WHEEL CASTORS: The twing wheel castors are injection moulded in black Nylon.	100 Pc.

हस्ताक्षर निविदादाता

3	**Executive Chairs (Mid Back)** The seat/back shall be made up of 1.2 ±0.1cm thick hot pressed plywood measured as per QA method desaribed in OCP-QLTA-P14-18 and upholstered with fabric and moulded Polyurethane foam together with moulded seat and back covers. The back foam shall be designed with contoured lumbar support for extra comfort. The dimensions of back shall be-50.0 cm (W) x 49.0 cm (H) and of seat shall be-50.0 cm (W) x 46.5cm. (D). The HR Polyurethane foamshall be moulded with density 45±2kg/m3-and Hardness load 16 ±2 kgf as per IS:.7888-for 25% compression. The seat cover shall be injection moulded in black co-polymer polypropylene and back cover is vacuum formed from ABS sheets. The one-piece armrests shall be made of black integral skin polyurethane with 50-70 Shore 'A' Hardness and reinforced with M.S. insert. The armrests shall be scratch and weather resistant. The armrests shall be fitted to the seat with seat/armrest connecting strip assembly made of 0.5 ±0.05-cm. thick HR steel.The center tilt mechanism shall be designed as-360° revolving type, 17° ±2° maximum tilt on pivot at center, Upright position locking, Tilt tension adjustment. The tubular frame shall be cantilever type & made of dia 2.54 ±0.03cm. x 0.2 ±0.016cm. thk M.S. E.R.W. tube and black powder coated (DFT 40-60 microns). The pneumatic height adjustment shall have an adjustment stroke of 12.0 ±0.3cm. The bellow shall be 3 piece telescopic type and injection moulded in black Polypropylene. The pedestal shall be injection moulded in black 33% glass-filled Nylon-66 and fitted with 5 nos. twin wheel castors. The pedestal shall be 66.3 ±0.5cm.(76.3±1.0 cm with castors). The twin wheel castors shall be injection moulded in Black Nylon. Overall Dimensions of Chair shall be Seat Height - min 44.2 to max 54.2cm, Height - min78.5 to max 90.5cm, Width & Depth of Chair as measured from pedestal - Width-76.3 cm and Depth-76.3 cm.	300 Pc.
4	**Visitor Chair with Arm rest** **Seat-Back Assembly**- Seat & Back are made of 1.2 cm thick hot pressed plywood, upholstered with fabric and moulded Polyurethane foam with PVC lipping all around. The back foam is designed with contoured lumber support for extra comfort. Back Size 49.5cm(W)x47.0cm(H) and Seat size49.5cm(W)x44.0cm(D). **Polyurethane Foam-** The polythane foam is moulded with density =45±2kg/m3-and Hardness load =20 ±2 on Hampden machine at 25% compression. **ArmRests-** The one piece armrests made of black integral skin polyt=rethane with 50-70 Shore Hardness and reinforced with M.S. insert. The armrests are scretch and weather resistant. The armrests are fitted to the seat with seat armrest connecting bracket made of 0.3 cm thick HR steel. **Tubular understructure-** The understructure is made of M.S. tube dia. 2.54cm. (1")x14BG thick and black powder coated.	350 Pc.
5	**Officers Table (Size 7'x3.5'x2.5')** Providing and fixing of Officers Table of overall size 7'x3.5'x2.5' (LxWxH) with side unit of size 2'x1'3"x2.5'and omnuilt drawer unit of size 1.5'x3.5'x2.5'. The table is made out of 19mm thic ISI mark termite resistant, boiling water proof exterior grade board of approved make like Century, Duro, Green etc. The vertical support is made out of 19mm thick board providing all outer sides. The top of the table is also made out of same board with at least two teak wood supports of size 2"x2". The left hand side 2' long portion of the table is leaning inside at angle of 15 degree. The drawer unit will have 2 nos. of drawers of overall 6" deep with teak wood frame and 12mm plywood at bottom. The side unit will have 2 nos. of drawers in top with sliding shutter in the bottom one. The table will be fixed with 9" wide teak wood footrest. The top of the table and all outer area of table is provied with 4mm thick teak wood veneer of approved pattern and good quility. The exposed top faces is covered with teak wood beading. All other exposed faces are provided with 6mm thick teak wood beading. The whole table is duly good quality melamine polished and top of the table and side unit is covered with 10mm thick toughened glass with bevelled edges. The whole table is complete as per above specifiaction.	15 Pc.
6	**Officers Table (Size 5'x3.5'x2.5')** Providing and fixing of Officers Table of overall size 5'x3.5'x2.5' (LxWxH) with omnuilt drawer unit of size 1.5'x3.5'x2.5'. The table is made out of 19mm thic ISI mark termite resistant, boiling water proof exterior grade board of approved make like Century, Duro, Green etc. The vertical support is made out of 19mm thick board providing all outer sides. The top of the table is also made out of same board with at least two teak wood supports of size 2"x2". The left hand side 2' long portion of the table is leaning inside at angle of 15 degree. The drawer unit will have 2 nos. of drawers of overall 6" deep with teak wood frame and 12mm plywood at bottom. The side unit will have 2 nos. of drawers in top with sliding shutter in the bottom one. The table will be fixed with 9" wide teak wood footrest. The top of the table and all outer area of table is provied with 4mm thick teak wood veneer of approved pattern and good quility. The exposed top faces is covered with teak wood beading. All other exposed faces are provided with 6mm thick teak wood beading. The whole table is duly good quality melamine polished and top of the table and side unit is covered with 10mm thick toughened glass with bevelled edges. The whole table is complete as per above specifiaction.	20 Pc.

हस्ताक्षर निविदादाता

7	**Side Unit (Size 2'x1'3''x2.5')** Providing and fixing of side unit of size 2'x1'3"x2. The sSide unit is made out of 19mm thic ISI mark termite resistant, boiling water proof exterior grade board of approved make like Century, Duro, Green etc. The vertical support is made out of 19mm thick board providing all outer sides. The top of the Side Unit is also made out of same board with at least two teak wood supports . The side unit will have 2 nos. of drawers in top with sliding shutter in the bottom one. The exposed top faces is covered with teak wood beading. All other exposed faces are provided with 6mm thick teak wood beading. The whole table is complete as per above specifiaction.	20 Pc.

नोट- 1. उपरोक्त क्रय हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या बढोतरी संभव है।
2. कालम संख्या 2 में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार निविदा के साथ **उक्त फर्नीचर का नमूना संलग्न करना होगा।** प्राप्त नमूने की जॉच तकनीकि समिति द्वारा की जावेगी तथा नमूना उपयुक्त पाये जाने पर ही उक्त आईटम की दरों पर विचार किया जावेगा।
3. वित्तीय निविदा में दरें अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि एनेक्चर ई के कालम संख्या 2 में जो स्पेसिफिकेशन अंकित किया है, उसी के अनुरूप फर्नीचर की दरें वित्तीय निविदा में अंकित की जावे एवं नमूने प्रसतुत किये जावें ।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नम्बर (दुकान) (घर)

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर निविदादाता

Annexure :F

निविदादाताओं द्वारा धोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की कुटीर/लधु उधोग ईकाई के रूप में निर्मात/विनिर्माता बोनाफाइड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिक़त डीलर/डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द् कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम...

पूर्ण पता...

....

टेलीफोन नं. (निवास)...............................   (दुकान)...................................

हस्ताक्षर निविदादाता

एनेक्सर-जी

शासन सचिवालय के उपयोगार्थ लकडा/स्टील फर्नीचर राज्य की लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आद्योगिक ईकाइयों से क्रय किये जाने दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि(आदेश दिनांक से एक वर्ष)के लिए अनुमोदन कराने हेतु निविदा की आवश्यक शर्तेः-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वितीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

2. तकनीकी निविदा में बोली प्रतिभूति राशि 37,000.00 (रूपये सैंतीस हजार मात्र) का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट ''संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर'' के नाम से बनवाया जावे।

3 फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (दोनों वर्षों में) में फर्म की बिक्री/टर्नओवर रू. **75.00** लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा सीए (चार्टेड अकाउन्टेन्ट) का प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा ।

4 दिनांक **30.09.2018** तक की जीएसटी रिटर्न की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी !

5 निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी । इसलिए वित्तीय निविदा को छोडकर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी0डी0/बैंकर चैक तथा नमूनें ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक **31/01/2019** को दोपहर 01.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे ।

6 यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेंगी। इस हेतु गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।

7 निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

8 तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन निविदादाताओं की ही निविदा ऑन लाईन वित्तीय खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।

9 निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

10. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इककार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीक़ृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।

11. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु जीएसटी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखया जाना चाहिए।

12 मूल्य अधिमान :- (मूल्य अधिमान/ अधिमान, राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय राजस्थान के उद्योगो को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।

13 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

14 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

15 विनिर्देश :-

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी जहां पर वस्तुओं की आई एस आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/ क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओ का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित दरे न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में की क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) वारंटी/गांरटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएॅ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .... दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएॅ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने कसे सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसके दी गई शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

निरीक्षण:-

16 निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

17 नमूने:- एनेक्सर "ई" में वर्णित सामग्री/फर्नीचर का नमूना तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । अन्यथा उस सामग्री/फर्नीचर की दरों पर विचार नहीं किया जावेगा । नमूना उपयुक्त पाये जाने पर ही दरों पर विचार किया जा सकेगा । नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

18 प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

19- अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक नि:शुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ती पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

20- असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21- रदद करना :-

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएॅ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रदद किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्तिच किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समक्षा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

22- रदद की गई वस्तुओ को निविदादाता उन्हे रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम पर उसके मद् उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

23- निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुवान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पाई गई ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगा।

24- प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate)कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

25. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

26 सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए.......... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि 30 दिवस या आदेशानुसार एवं तत्काल आवश्यकता होने पर कार्यादेश के 15 दिवस के अन्तर्गत

27. बोली प्रतिभूति राशि:-

(क) निविदा के साथ रू. 37,000/- की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि **संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए:-

(i) नकद-शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप-103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालन से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक डाफट/बैंकर्स चैक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:- असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद् की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

28. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहत कर लिया जाएगा:-

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

29.(1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप :- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई हैं, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता निमय-2013 के नियम-75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:-

(क) बैंक डाफट /बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति/एफडीआर

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्टीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्टीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट /विलेख यदि उनहें यदि गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर किस निविदादाता के विरूघ कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगों।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) नि:शुल्क दी जाएगी।

30. (i) समस्त माल रेल्वे या गुडस टांस्पोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर आर केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्ज्र ट्रेन से भिजवो की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

31. बीमा:- यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

32. भुगतान :-

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विविदास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका निरीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्ाण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

33. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:- (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी।

(1)	(क)	विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(द)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड् दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

(6) . वसूलियॉ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

34. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

35. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोतिप करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

36. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद. करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

37. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

38. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

39. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

40. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होगें।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं. मोबाईल नं.	

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>एनेक्सर-एच</u>

संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (ख) विभाग,
शासन सचिवालय

विषय–निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक 9(8) कार्मिक/ख–3/2018 दिनांक ----/----/2019 के क्रम में **शासन सचिवालय के उपयोगार्थ लकडी/स्टील फर्नीचर राज्य की लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आद्योगिक ईकाइयों से क्रय किये जाने के लिए दर संविदा हेतु** <u>एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष)</u> **के लिए अनुमोदन हेतु** अपने अनुबंध के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है।

1. निम्नलिखित दस्तावेज फीस आदि जमा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है-

क्र0सं0.	विवरण	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क: रु. 500 / - नकद, डीडी / बैंकर चैक (संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 500/- नकद, डीडी /बैंकर्स चैक (प्रबन्ध निदेशक RISL, के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 37,000 / - नकद, डीडी / बैकर्स चैक (संयुक्त शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			

2. अनुबंध की अवधि के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जाएगा.
3. मैं / हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए हम बाध्य होगें ।
4. इस निविदा स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं / हम एतद्द्वारा (**एनेक्सर-ए से आई तक**) के साथ ही विधिवत हमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तो का पालन करने पर सहमत हैं. मैं / हम मेरे / हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं.
5. इस संबंध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं. सभी दस्तावेजों / दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है / हमें और कार्मिक विभाग दस्तावेजों के दस्तावेजों / फोटोकॉपी के किसी भी है कि अगर कानून के किसी सक्षम न्यायालय में / हमें मुझे पर विभाग मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है ।
6. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

<u>हस्ताक्षर निविदादाता</u>

एनेक्सर-आई

'Financial Tender Form'

Tender Document for

शासन सचिवालय के उपयोग हेतु लकडी/स्टील फर्नीचर क्रय किये जाने की दर संविदा हेतु।

Ref. NIT No. F-9 (8)DOP/B-III/2018 Jaipur, dated 16/01/2019

Tender Inviting Authority: संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग				
Name of Work : शासन सचिवालय के उपयोग लकडी/स्टील फर्नीचरक्रय किये जाने की दर संविदा हेतु।				
Contract No: Ref. NIT No. F-9 (8)DOP/B-III/2018 Jaipur, dated 16/01/2019				
Bidder Name :				
SCHEDULE OF WORKS				
S.No.	Name of Item	Price per Unit	GST Amout	Total Amount
1.	**Executive Chair (High Back with net)**			
2.	**Executive Chair (High Back)**			
3.	**Executive Chairs (Low Back)**			
4.	**Visitor's Chair (with arm rest)**			
5.	**Officer'sTable (Size 7'x3.5'x2.5')**			
6.	**Officers Table (Size 5'x3.5'x2.5')**			
7.	**Side Unit (2'x1'3"x2.5')**			

नोट- 1. मूल दर एवं जीएसटी अलग से दर्शाया जावे।

2 न्यूनतम दरों का निर्धारण आईटम वाईज किया जावेगा।

3 व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय बिल वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 1(1)वित्त/जीएफएण्डआर/07 दिनांक 21-04-2010 एवं राज्य लोक उपापन नियम-2013 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) (मोबाईल)

जयपुर दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता